

50(7)

P/2/87

50(7)

भाग 3 (1) ]

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 1991

379

कार्यालय, उच्चैतन विकास प्राधिकरण, उज्जैन  
दिनांक 14 फरवरी 1991

क्रमांक 15/91.—मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम विवेक प्राधिकरण  
1973 (क्रमांक 23; सं. 1973) की धारा 50 की उप-धारा (3)  
के अधीन उच्चैतन विवेक क्षेत्र के तहत उच्चैतन के तहत मध्य प्रदेश राजपत्र  
भाग 3 (1) में पृष्ठ क्रमांक 3233 तथा 3234, दिनांक  
13-10-89 में जारी योजना को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम विवेक  
प्राधिकरण, 1973 की धारा 50 की उप-धारा (4) के अधीन उच्चैतन  
प्रभावित नगर विकास योजना को सर्व-साधारण की आवश्यकता के  
लिए उच्चैतन की धारा 50 (7) के अन्तर्गत सूचकांक प्रकाशित  
किया जाता है कि इस योजना में ग्राम भाखपुर एवं नागझिरी के विभागा-  
त्मक क्षेत्रों को भी समाविष्ट है—

- ग्राम भाखपुर एवं नागझिरी—
- 39 ग्रंथभाग, 40 ग्रंथभाग, 41, 42 ग्रंथभाग, 43
  - 44 ग्रंथभाग, 45 ग्रंथभाग, 46, 47, 48, 49, 50/1,
  - 50/2, 50/3, 50/4, 51 ग्रंथभाग, 52 ग्रंथभाग, 53/1 ग्रंथ-
  - भाग, 53/2 ग्रंथभाग, 79/1 ग्रंथभाग तथा ग्राम नागझिरी एवं
  - ग्राम भाखपुर एवं नागझिरी—

- उच्चैतन विकास प्राधिकरण के प्रेषित विवरणों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध है—
1. उच्चैतन विकास प्राधिकरण, उज्जैन,
  2. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम विवेक प्राधिकरण, उज्जैन,
  3. उच्चैतन विकास प्राधिकरण, उज्जैन.

उक्त पी 12187 योजना मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशक के दिनांक  
में प्रकाशित की जायेगी.  
(241-बी.)

Dated: 14th February 1991

No. 15/91.—The Town and Development Scheme  
for the development of P/1/87 scheme published in  
Madhya Pradesh Rajpatra Part 3 (1), page 3233 and  
3234 dated 13-10-89 under Sub-section (3) of Section  
30 of Town and Country Planning act 1973 (No. 23 of  
1973) and as approved under Sub-section (4) of Section  
30 of the Town and Country planning act 1973 is here-  
by published for the information of the general  
public under Sub-section (7) of Section 50 to the said  
act bearing following Survey Nos. of Gram Lalpur  
and Nagziri—

- Gram Lalpur.—Survey Nos. —39 part, 40 part, 41,  
42 part, 43 part, 44 part, 45 part,  
46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4,  
51 part, 52 part, 53/1 part, 53/2 part,  
79/1 part.
- Gram Nagziri.— Survey Nos. 167.

The copies of the said scheme are available for  
inspection during the office hours at the following  
places namely—

- (i) Joint Director, Town & Country Planning,  
Ujjain.

(ii) Municipal Corporation, Ujjain.

(iii) Ujjain Vikas Pradhikaran, Ujjain.

The said scheme No. 15/91 will come into  
operation with effect from the date of publication of  
this scheme in the Madhya Pradesh Rajpatra.  
(241-B.)

दिनांक 28 फरवरी 1991  
नगर विकास प्राधिकरण, उज्जैन

क्रमांक 8/91.—प्राधिकरण के तहत उच्चैतन के तहत मध्य प्रदेश  
नगर तथा ग्राम विवेक प्राधिकरण, 1973 (क्र. 23, सं. 1973)  
की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन उच्चैतन के तहत मध्य प्रदेश  
राजपत्र भाग 3 (1) में पृष्ठ क्रमांक 4354/4/1 एवं 4355/1/1, दिनांक 13-10-89 में जारी योजना को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम विवेक प्राधिकरण, 1973 की धारा 50 की उप-धारा (4) के अधीन उच्चैतन प्रभावित नगर विकास योजना को सर्व-साधारण की आवश्यकता के लिए उच्चैतन की धारा 50 (7) के अन्तर्गत सूचकांक प्रकाशित किया जाता है कि इस योजना में ग्राम भाखपुर एवं नागझिरी के विभागात्मक क्षेत्रों को भी समाविष्ट है—

1. उच्चैतन विकास प्राधिकरण, उज्जैन,
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम विवेक प्राधिकरण, उज्जैन.

किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए उच्चैतन विकास प्राधिकरण के कार्यालय में 28 फरवरी के तहत मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी.  
(242-बी.)

Dated 28th February 1991

Notice of publication of draft of Town Development Scheme

No. 8/91.—Notice is hereby given that a Draft  
of Town Development Scheme has been prepared  
for the above following Survey Nos. of Gram  
Ujjain—

Survey Nos.—4354/4/1 and 4355/1/1 part under  
Sub-section (3) of Section 30 of the Madhya Pradesh  
Municipal Corporation Act, 1973 (No. 23  
of 1973) and a copy thereof is available for inspection  
during office hours in the office—

1. Ujjain Vikas Pradhikaran, Ujjain.
2. Joint Director, Town and Country Planning  
Department, Ujjain.

Any objection or suggestion which may be received  
in writing from any person affected thereby  
within 30 days of the publication of this notice in the  
"Madhya Pradesh Rajpatra" will be considered by  
Ujjain Vikas Pradhikaran, Ujjain by which has been given  
him an opportunity of being heard in person if  
he desires.

(242-B.)